



उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 29.09.2021

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव।

वन संरक्षण अधिनियम में तीन अभियुक्त गिरफ्तार, 13 बोटा हरे शीशम की लकड़ी बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत तीन अभियुक्तों 13 बोटा हरे शीशम की लकड़ी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 28.09.2021 को उ०नि० मो० गुलाम खाँ मय हमराह फोर्स द्वारा ग्राम आशाखेड़ा से अभियुक्तगण 1. कुंवारे पुत्र स्व० कल्लू रावत उम्र करीब 50 वर्ष नि० ग्राम आशाखेड़ा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव 2. सोहनलाल उर्फ जैकी पुत्र हीरालाल उम्र करीब 24 वर्ष नि० उपरोक्त 3. मुन्ना कोरी पुत्र स्व० नन्हा उम्र करीब 40 वर्ष नि० उपरोक्त को 13 बोटा हरे शीशम की लकड़ी, 02 अदद कुल्हाड़ी एवं 02 अदद आरा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सोहरामऊ में मु०अ०सं० 193/21 धारा 4/10 उ०प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कुंवारे पुत्र स्व० कल्लू रावत उम्र करीब 50 वर्ष नि० ग्राम आशाखेड़ा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव
2. सोहनलाल उर्फ जैकी पुत्र हीरालाल उम्र करीब 24 वर्ष नि० उपरोक्त
3. मुन्ना कोरी पुत्र स्व० नन्हा उम्र करीब 40 वर्ष नि० उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

13 बोटा हरे शीशम की लकड़ी, 02 अदद कुल्हाड़ी एवं 02 अदद आरा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० मो० गुलाम खाँ
2. हे०का० राजेश कुमार
3. कां० मुकेश



उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 29.09.2021

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव।

अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा 10 ली० अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 28.09.2021 को उ०नि० शिवप्रताप सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्त जगपाल रावत पुत्र कल्लू नि० ग्राम आदमपुर बरेठी थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव को नीलकण्ठेश्वर मंदिर के पास से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सोहरामऊ पर मु०अ०सं० 194/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जगपाल रावत पुत्र कल्लू नि० ग्राम आदमपुर बरेठी थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव

बरामदगी:-

1. 10 ली० अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाले टीम-

1. उ०नि० शिव प्रताप सिंह
2. हे०का० मिथलेश कुमार
3. का० अशोक यादव



उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 29.09.2021

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।

मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने व छेड़खानी के वांछित तीन अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 401/2021 धारा 147/148/149/323/504/452/325/354ख/308 भादवि में वांछित तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 29.09.2021

को मु0अ0सं0 401/2021 धारा

147/148/149/323/504/452/325/354ख/308

भादवि में वांछित 03 नफर अभियुक्तगण

1.टिन्कल उर्फ राघवेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र सिंह, 2.कल्लू

सिंह उर्फ रूपेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह, 3.धर्मेन्द्र

सिंह पुत्र झम्मन सिंह पुत्र वीरेन्द्र निवासीगण

गांधी नगर थाना गंगाघाट उन्नाव को उ0नि0

विनोद कुमार व उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराह

फोर्स द्वारा मोहल्ला अवस्थी फार्म प्राइमरी स्कूल

के पास से गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्त-

1.टिन्कल उर्फ राघवेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी गांधी नगर थाना गंगाघाट उन्नाव

2.कल्लू सिंह उर्फ रूपेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी गांधी नगर थाना गंगाघाट उन्नाव

3.धर्मेन्द्र सिंह पुत्र झम्मन सिंह पुत्र वीरेन्द्र निवासी गांधी नगर थाना गंगाघाट उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाले टीम-

उ0नि0 श्री विनोद कुमार

उ0नि0 श्री सुशील कुमार

का0 सतेन्द्र कुमार

रि0का0 आकाश चौधरी



उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 29.09.2021

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव ।

वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 29.09.2021 को उ0नि0 अमर सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा केस नं0 136/2010, अ0सं0 1662/09 धारा 323/504/506 भा0दं0वि0 व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट से संबन्धित वारंटी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र चन्द्रपाल काछी नि0 ग्राम बेवल थाना पुरवा जनपद उन्नाव को ग्राम बेवल से गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवकुमार पुत्र चन्द्रपाल काछी नि0 ग्राम बेवल थाना पुरवा जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाले टीम-

उ0नि0 अमर सिंह

हे0का0 अशोक कुमार सरोज



उन्नाव पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

प्रेस नोट, दिनांक 29.09.2021

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

शातिर चैन लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस व पीआरवी 2913 द्वारा मुकदमा वादिनी तथा जनता के सहयोग से एक शातिर चैन लुटेरे को एक अदद पीली धातु की चैन (टूटे हुए), एक अदद मंगलसूत्र (टूटे हुए) व घटना मे प्रयुक्त पल्सर मो0सा0 बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 29.09.2021

को मुकदमा वादिनी व जनता के व्यक्तियों तथा PRV 2913 के कर्मचारीगणों व कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त नीरज यादव पुत्र स्व0 रामनारायण यादव उर्फ पल्टू निवासी शेरअली खेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष को सम्बन्धित मु0अ0सं0-750/2021 धारा 392/411 भादवि मय एक अदद पीली धातु की चैन व एक अदद मंगलसूत्र के साथ मय घटना मे प्रयुक्त पल्सर मो0सा0 बिना नम्बर प्लेट के समय करीब-11.05 AM पर जी स्कूल के सीएनजी फिलिंग स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लिया गया।



अभि0 द्वारा लाल शर्ट पहनी हुयी थी तथा नीचे फुल बाजू की काली टी शर्ट पहने था पूँछताछ मे बताया कि घटना के बाद शर्ट उतार कर रख लेता हूँ तथा मो0सा0 मे नम्बर प्लेट लगा लेता हूँ, घटना के समय नम्बर प्लेट मो0सा0 की सीट के नीचे रख लेता हूँ। नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नं0 UP 35 BA 4734 अंकित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का बाद मेडिकल परीक्षण समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. अभियुक्त नीरज यादव पुत्र स्व0 रामनारायण यादव उर्फ पल्टू निवासी शेरअली खेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0- 750/2021 धारा 392/411 भादवि

बरामदगी:-

1. एक अदद पीली धातु की चैन (टूटे हुए)
2. एक अदद मंगलसूत्र (टूटे हुए)
3. घटना मे प्रयुक्त पल्सर मो०सा० रजिस्ट्रेशन नं० UP 35 BA 4734

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 203/2018 धारा 63/72 आबकारी एक्ट व धारा 419,420,467,467,471 भादवि थाना पुरवा उन्नाव
2. मु०अ०सं० 750/2021 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली सदर उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- उ०नि० श्री हसमत अली चौकी इंचार्ज ललऊखेड़ा
- 2- हे०का० ज्ञान सिंह
- 3- हे०का० पातीराम मौर्या
- 4- हे०का० भाल चन्द्र
- 5- का० प्रवीण चौरसिया
- 6- का० गिरीश कुमार
- 7- पीआरबी 2913 के कर्मगण - हे०का० शरद कुमार, का० महबूब खान व हो०गा०चा० रजनीकान्त
- 8- मुकदमा वादिनी- श्रीमती सुमन चौधरी पत्नी लखन चौधरी निवासी दुर्गा बिहार, ताडगिया जाजमऊ कानपुर नगर तथा जनता के व्यक्ति